इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 4 नवम्बर 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
सूक्ष्मवित्त ----------5
अर्थव्यवस्था ----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
बीमा ---------- ----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
नयी नियुक्तियां----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्त्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्त्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई
अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की 2री तिमाही की समीक्षा - 24 अक्तूबर 2011

मौद्रिक उपाय

- **पुनर्खरीद दर -** चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद दर 8.25% से 25 आधार अंक बढ़ाकर तात्कालिक प्रभाव से 8.5% की गई।

- **प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर -** पुनर्खरीद दर से 100 आधार कम के अंतर वाली चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर तात्कालिक प्रभाव से 7.5% पर स्वयमेव समायोजित हो जाती है।

- **सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर -** पुनर्खरीद दर से 100 आधार अंक अधिक के अंतर के साथ निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा तात्कलिक प्रभाव से 9.5% पर पुन: अनुसंशोधित हो जाती है।

- **बैंक दर -** बैंक दर 6.0% पर कायम रखी गई है।

- **आरक्षित नकदी निधि अनुपात -** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को उनकी निवल मांग और सावधि देयताओं (NDTL) के 6.0% पर कायम रखा गया है।

मौद्रिक समुच्चय

मुद्रा आपूर्ति (एम3) और ऋण वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्तियां रिज़र्व बैंक के संकेतात्मक अनुमानों से अधिक वाले स्तर पर बनी रहीं। विशेषत: सावधि जमाराशियों की ब्याज दरों मे वृद्धि के कारण जमा वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में काफी अधिक रही। ऋण वृद्धि कुछ समय तक मंद रही किन्तु उसके बाद वह पुन: बढ़ गई। आशा की जाती है कि मौद्रिक समुच्चय मौद्रिक नीति की पहली तिमाही की समीक्षा में व्यक्त अनुमानित प्रक्षेप-वक्र के अनुरूप ही रहेगा। तदनुसार, वर्ष 2011-12 के लिए एम3 से सम्बन्धित अनुमान को 15.5% पर तथा खाद्येतर ऋण की वृद्धि 18% पर कायम रखा गई है।

बचत बैंक जमा की ब्याज दर का अविनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर के तात्कालिक प्रभाव से अवि नियमन की घोषणा की है। तदनुसार, बैंक निम्नलिखित दो शर्तों के अध्ययीन अपनी बचत बैंक जमा की ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं :

- प्रत्येक बैंक को 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमा पर एकसमान दर प्रदान करनी होगी, खाते में इस सीमा के भीतर रकम चाहे जितनी भी क्यों न हो।

- 1 लाख रुपये से अधिक की बचत बैंक जमाराशियों के मामले में कोई बैंक यदि वह ऐसा पसंद करता हो, तो विभेदक ब्याज दर प्रदान कर सकता है। हालांकि, उतनी जमा रकम के लिए ब्याज दर के सम्बन्ध में ग्राहक से ग्राहक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य घटनाएं

बैंक में नवागंतुकों के लिए 3-वर्षीय ग्रामीण तैनाती "आवश्यक "

ए.के. खण्डेलवाल समिति ने यह सिफारिश की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नये भर्ती होने वाले लिपिकों को तीन वर्ष तक ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सेवा करनी होगी। उनकी इस तैनाती, जो उनके सेवाकाल के पहले 10 वर्षों में पूरी की जानी है का निर्णय बैंकों को करना होगा। इसके अलावा, बैंकों लिए लिपिकीय परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वर्तमान में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के विपरीत अब केवल स्नातक ही पात्र होंगे। प्रत्येक बैंक को पांच वर्ष तक इसे रणनीतिक एवं कारोबारी योजनाओं से सम्बद्ध करते हुए प्रत्येक वर्ष जनशक्ति आयोजना का विस्तृत एवं संरचनागत कार्य पूरा करना होगा। सरकार ने इन

सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा बैंकों से इन सिफारिशों को शामिल करते हुए 31 दिसम्बर, 2011 तक एक मानव संसाधन योजना तैयार करने (और अपने निदेशक मंडल से अनुमोदित करा लेने) के लिए कहा है।

4

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के माध्यम से निधि अंतरण में चूक के लिए जेल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अनुसार चेकों की अस्वीकृति के विरुद्ध नियम इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण अनुदेशं की अस्वीकृति पर भी लागू होंगे। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 आदाता (लाभार्थी) को इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण अनुदेश की अस्वीकृति के विरुद्ध वही अधिकार एवं उपचार प्रदान करती है, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन आदाता को उपलब्ध होते हैं।

'ड्राफ्टों' की कोई 'मांग' नहीं

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के कारण बैंकों को मांग ड्राफ्टों (DDs) के जारी किए जाने हेतु अनुरोधों में उल्लेखनीय गिरावट परिलक्षित हो रही है। 3-4 वर्ष पहले तक भर्ती परीक्षाओं, शैक्षिक परीक्षाओं के शुल्कों के भुगतानों और सरकारी लेनदेनों के लिए मांग ड्राफ्ट अपरिहार्य हुआ करते थे। हालांकि, अब लोक सेवा आयोगों, बैंकों तथा शैक्षिक संस्थाओं जैसे लगभग सभी महत्वपूर्ण भर्तीकर्ताओं ने ऑनलाइन भुगतान अपना लिया है; इसप्रकार मांग ड्राफ्टों को प्राय: अप्रचलित बना दिया है। अधिकांश व्यवसायी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के उपयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं, क्योंकि इसकी त्वरित सेवा मांग ड्राफ्टों, जिनके समाशोधन में कुछेक दिन लग जाते हैं, की तुलना में निधियों की अनवरुद्धता सुनिश्चित करती है।

5,000 'ब्राउन लैबेल' एटीएम निर्माणाधीनं

बैंकिंग उद्योग 'ब्राउन लैबेल' एटीएम मॉडल की दिशा में तीव्र गति से प्रस्थान कर रहा है। व्यापकबैंड सेवा-प्रदाता, ह्यूजेस कम्युनिकेशन्स इंडिया देश में 5,000 ब्राउन लैबेल एटीएम स्थापित करेगा। ब्राउन लैबेल एटीएम में हार्डवेयर और पट्टा सेवा-प्रदाता के स्वामित्वाधीन होता है, जबकि संयोजकता (कनेक्टिविटी) और नकदी संचालन तथा प्रबन्धन प्रायोजक बैंक की जिम्मेदारी होती है। उक्त मॉडल में दो मूलभूत लाभ निहित हैं, यथा- बैंकों को तेजी से ह्रा सित हो रही आस्ति में अपनी निधियां अवरुद्ध नहीं करनी पड़तीं, क्योंकि पूंजीगत निवेश का दायित्व एटीएम विक्रेता द्वारा उठाया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि विक्रेता को प्रत्येक लेनदेन के लिए उस बैंक से शुल्क प्राप्त होता है, जिसके एटीएम कार्ड का उपयोग किया जाता है, उपयोग की दृष्टि से कुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

छोटी रकम वाले विप्रेषणों के मानदंड शिथिल

5

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आप्रवासी लोगों द्वारा छोटी रकम वाली निधियों के सहज विप्रेषण के मानदंड शिथिल कर दिए हैं। बैंक खातों से बैंक खाते न रखने वाले लाभार्थियों को अंतरित की जाने वाली रकमों के नकद भुगतान की व्यवस्था को उदार बना दिया गया है। भारतीय रि ज़र्व बैंक ने प्रत्येक लाभार्थी 25,000 रुपये की मासिक सीमा की शर्त पर लेनदेन सीमा को मौजूदा 5,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दिया है। नये नियम बैंक खाते न रखने वाले अकस्मात ग्राहको को बैंक खातों में निधियां अंतरित करने में समर्थ बनाएंगे।

अनिवासी भारतीय खाते मुक्त रूप से परिवर्तनीय किसी भी मुद्रा में

भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि भारत में अनिवासी खाते रखने वाले भारतीय अब उन्हें किसी भी ऐसी मुद्रा में रख सकते हैं, जो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो। इस मुहिम से अनिवासी भारतीयों को खाते रखने में अधिक विकल्प प्राप्त करने तथा महत्वपूर्ण मुद्राओं में उतार-चढ़ाव से जोखिमों को करने में सहायता प्राप्त होने की संभावना है। इसके पूर्व विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता धारकों को केवल पौंड-स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, जापानी येन, यूरो, कनाडाई डालर और आस्ट्रेलियाई डालर मे खाते रखने की अनुमति होती थी।

वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यसूचौ में वापस

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह कहना पसंद किया है कि जहां मुद्रास्फीति का जोखिम कायम है, वहीं अतीत की कार्रवाइयों के रूपांतरण के सामने आने का क्रम अब भी जारी रहने के बावजूद मौद्रिक नीति के प्रक्षेप-वक्र को उभरते वृद्धि-मुद्रास्फीति के गतिवाद द्वारा निर्देशित किया जाना होगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि खाद्य मूल्य में स्फीति खाद्येतर प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में संरचनागत असंतुलन और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी संशोधन के कारण अधिक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में वास्तविक मजदूरी स्फीति उल्लेखनीय रही है तथा मजदूरी स्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्फीति में अंतर 2011-12 की पहली तिमाही में और बढ़ गया है।

आधारभूत सुविधा क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के मानदंड सरलीकृत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधारभूत सुविधा क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) नीति को उदार बना दिया है। आधारभूत सुविधा के विकास में अनन्य रूप से संलग्न किसी भारतीय कम्पनी में न्यूनतम 25% की चुकता पूंजी सहित प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारकों को भारतीय फर्म द्वारा पूंजी बाज़ार के लिखतों के निर्गमन के माध्यम से जुटाए गए घरेलू ऋण के लिए ऋण वृद्धि उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारकों के मामले में चुकता पूंजी का न्यूनतम अंश 51% नियत किया गया है। इन वृद्धियों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। आधारभूत सु विधा क्षेत्र में संलग्न भारतीय कम्पनियों को कारपोरेट द्वारा

जुटाए गए नये बाह्य वाणिज्यिक उधार के 25% का उपयोग उनके द्वारा घरेलू बैंकिंग प्रणाली से कुछेक शर्तों के अधीन लिये गए रुपया ऋणों के पुर्वित्तीयन के लिए करना होगा । जुटाए जाने वाले नये बाह्य वाणिज्यिक उधार के कम से कम 75% का उपयोग "नयी आधारभूत सुविधा परियोजनाओं" के लिए पूंजीगत व्यय के लिए किया जाना चाहिए। शेष 25% के लिए पुनर्वित्त का उपयोग केवल किसी पूरी की गई आधारभूत सुविधा परियोजना के पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त किए गए रुपया ऋणों तथा उन ऋणों की चुकौती के लिए किया जाएगा, जो सम्बन्धित बैंक की बहियों में बकाया हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग हेतु कम्प्यूटरीकृत डाटा रिपोर्टंग मानदंड - सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए नये अवसर

विनियामक रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए अवसरों की बाढ़ आ गई है। इस मुहिम का उद्देश्य उन रिपोर्टों में मौजूद त्रुटियों और हेरफेर को कम करना है जो बैंकों द्वारा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती हैं। उद्योग के सहभागियों को बैंकों द्वारा 'कम्प्यूटरीकृत डाटा प्रवाह वाली स्थिति, अपनाने के लिए आगामी एक वर्ष में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किए जाने की आशा है।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों द्वारा आधारभूत सुविधा ऋण निधि के गठन को भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कम्प नियां (NBFCs) और गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां - आधारभूत सुविधा वित्त कम्पनियां (NBFC-IFCs) अब या तो पारस्परिक निधि मार्ग के माध्यम से या फिर गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी मार्ग के माध्यम से आधारभूत सुविधा ऋण निधि (IDF) का प्रायोजन कर सकते हैं। पारस्परिक नि धि मार्ग के माध्यम से आधारभूत सुविधा ऋण निधि का प्रायोजन करने वाले बैंकों के लिए वित्तीय सेवा कम्पनियों में निवेशों और पूंजी बाज़ार एक्सपोजर सीमाओं सहित मौजूदा

विवेकसंगत सीमाओं का पालन करना होगा। पारस्परिक निधि के माध्यम से किसी आधारभूत सुविधा ऋण निधि का प्रायोजन करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी के लिए 300 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (NOF) तथा 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) रखना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त उनकी अनर्जक आस्तियों का निवल अग्रिमों के 3% से कम होना भी आवश्यक होगा। गैर-बंकिंग वित्त कम्पनी को कम से कम पांच वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए; कम से कम 3 वर्ष तक लाभ अर्जित करने वाली होना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी मार्ग के माध्यम से प्रायोजन करने हेतु बैंक अथवा गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी के लिए इक्विटी के न्यूनतम 30% तथा आधारभूत सुविधा ऋण निधि के अधिकतम 49% का अंशदान करना आवश्यक होगा। आधारभूत सुविधा ऋण निधि (IDF) का प्रायोजन करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां - आधारभूत सुविधा वित्त कम्पनियों (NBFC-IFCs) को उतनी ही निवल स्वाधिकृत निधि

(NOF) रखनी चाहिए, जितनी कि आधारभूत सुविधा ऋण निधि का प्रायोजन करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी को रखनी होती है तथा उसे किसी प्रत्यायित एजेन्सी द्वारा कम से कम "ए" श्रेणी-निर्धारित होना चाहिए।

विदेशी बैंकों के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षा पैनल आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों के लिए कारपोरेट अभिशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने निदेशक मंडल की एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षा समिति गठित करना अनिवार्य बना दिया है। उक्त समिति को संवर्ती लेखा-परीक्षा, सांविधिक लेखा-परीक्षा, आंतरिक लेखा-परीक्षा द्वारा किए गए कार्य पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुपालन पर अत्यधिक गहनतापूर्वक निगरानी रखनी चाहिए तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक को पता चला है कि भारत में पि रचालनरत विदेशी बैंकों की शाखाएं सामान्यतया निरीक्षण / लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की उनके अनुपलन के लिए जांच / समीक्षा करने के उत्तरदायित्व सहित एक अलग लेखा-परीक्षा समि ति नहीं रखतीं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उत्तर-पूर्व में और शाखाएं खोलनी चाहिए

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 30 सितम्बर 2012 तक उत्तर-पूर्व में प्रत्येक बैंक रहित विकास खण्ड में शाखाएं खोलने का निदेश दिया है। एक ही राज्य से उद्भूत इन सातों राज्यों में 70 बैंक रहित विकास खण्डों और 55 अल्प बैंकिंग सुविधा वाले जिलों का समावेश है, क्योंकि विद्रोह द्वारा प्रभावित आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र से बैंक सामान्य रूप

से बचते रहे हैं। भारत सरकार 5,000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए कम से कम एक शाखा चाहती है। संचार की गंभीर अड़चनों ने अब तक उत्तर-पूर्व में आर्थिक एवं बैंकिंग विकास का गला घोंट रखा है। इन रुकावटों पर विजय प्राप्त करने के लिए उषा थोरात स मिति ने इन क्षेत्रों की सेवा करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अंगीकरण स्तरों और कारबार संप र्कियों (BCs) जैसे मध्यवर्तियों के उपयोग की वकालत की थी।

सार्बजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक नियंत्रक कम्पनी की संभावना

वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने के अपने तरीके को बदलने की योजना बना रहा है, ताकि भारी मात्रा में अतिरिक्त पूंजी जुटाई जा सके। उसकी मान्यता यह है कि 21 सार्बजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकीकृत करने हेतु एक साझी नियंत्रक कम्पनी अब तक अपनाई जाने वाली अंतिम क्षण वाली तदर्थ संसाधन निषेचन की प्रथा को समाप्त कर सकती है तथा मूल फर्म को देश और

विदेशों में ऋण जुटाने में समर्थ बना सकती है। यहां तक कि उक्त कम्पनी को आगे चल कर सूचीबद्ध होने की भी अनुमति दी जा सकती है, जो उसे बैंकों के लिए इक्विटी और उसके साथ ही ऋण जुटाने में समर्थ बनाएगी। हालांकि, बैंकों के नयी पूंजी जुटाने पर सरकार के अंश में अनिवार्यत: कमी आ जाएगी। नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार इन बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र वाले स्वरूप को परिरक्षित रखने हेतु विभेदक मताधिकारों, गोल्डेन शेयरों अथवा शून्य मताधिकार वाले शेयरों जैसे नवोन्मेषनों पर विचार कर रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से वित्त वर्ष -12 में 1600 शाखाएं खोलने के लिए कहा गया

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को इस वित्त वर्ष में सामूहिक रूप से 1600 जितनी भारी संख्या में - वाणिज्यिक बैंकों ने वित्त वर्ष -11 में जितनी शाखाएं खोली हैं उससे 60% अधिक शाखाएं खोलने का निदेश दिया है। इस मुहिम का उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई केन्द्रों में बैंकिंग की पैठ को तीव्र करना है। मार्च 2011 में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 1004 शा खाएं थीं, जो वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण एवं कस्बाई केन्द्रों में स्थित शाखाओं की एक तिहाई थीं। मंत्रालय चाहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मार्च 2012 तक इस संख्या को बढ़ा कर 17600 तक पहुंचाएं और उसके बाद अभी तक बैंक रहित विशाल आबादी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 1760 नयी शाखाएं खोलें।

ऋण वृद्धि सुदृढ़, किन्तु मंद होने की संभावना

स्थूल-आर्थिक और मौद्रिक घटनाओं की दूसरी तिमाही की समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि ब्याज दरों में उत्तरोत्तर वृद्धियों के बावजूद ऋण वृद्धि सुदृढ़ बनी रही। इस प्रकार

चलनिधि समायोजन सुविधा लेनदेनों के माध्यम से प्राथमिक चलनिधि के साधारण निषेचन के बावजूद व्यापक मुद्रा वृद्धि सुदृढ़ ऋण वृद्धि तथा उच्च जमा वृद्धि जैसे अन्तर्जात कारकों से बल पा कर और मुद्रा से जमाराशियों में प्रतिस्थापन से उत्साहित हो कर संकेतात्मक प्रक्षेप-वक्र से अधिक स्तर पर स्थिर रही।हालांकि, आगे चल कर वृद्धि में गिरावट आने तथा मुद्रास्फीति के मंद होने पर ऋण वृद्धि धीमी हो सकती है।

विदेशी बाज़ारो में निधि के अभाव से भारतीय बैंक प्रभावित

अमरीका और यूरोप में विद्यमान वित्तीय संकट ने इन बाज़ारों में निधियों के गंभीर अभाव के कारण कतिपय भारतीय बैंकों की विदेशी उधार योजनाओं को प्रभावित कर दिया है । यद्यपि विदेशों में लिबोर दरें अपेक्षाकृत कम हैं, बैंक उधार देने से कतरा रहे हैं तथा समूहन कार्य में शामिल नहीं हो रहे हैं। रेटिंग एजेन्सियों द्वारा ग्रीस के बैंकों के श्रेणी-निर्धारण को घटा दिए जाने से वित्तीय बाज़ारों की कठिनाइयां और बढ़ गई हैं।

सरकार ने बासेल - III करार लागू किए जाने से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आवश्यक निधियों के विवरण मंगाए

सरकार ने जनवरी 2013 से बासेल-III नामक नये वैश्विक बैंकिंग नियमों को कार्यान्वित किए जाने की तैयारी के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से एक दशक के लिए उनकी पूंजीगत आवश्यकताओं की विस्तृत योजना प्रस्तुत करने हेतु कहा है। इन बैंकों में एक प्रमुख शेयरधारक की हैसियत से सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय फर्मों और परिवारों की ऋण आवश्यकताएं पूरी की जाएं उन्हें पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। एक व्यापक योजना तैयार करने के प्रयास अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत आवश्यकताएं पर्याप्त हो सकती हैं तथा इस समय सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक चुनौती उपस्थित कर सकती हैं। बासेल - III का उद्देश्य 2008 वाली उस घटना की पुनरावृत्ति को रोकना है, जब वित्तीय मंदी के बाद सरकार को बैंकों के बचाव हेतु आगे आना पड़ा था। इस बार के प्रयास यह सुनिश्चित करने पर केन्द्रित होंगे कि आघात कर-दाताओं के बजाय शेयरधारक झेलें। इसके लिए बैंकों को उनकी पूंजी बढ़ाना अवश्यक होगा । सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम से कम 58% नियंत्रण रखने की आशा करती है तथा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 6% के स्तर से अधिक न्यूनतम 8% का टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) बनाए रखें। भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय बैंक अच्छी तरह पूंजीकृत हैं तथा बासेल - III के मानदंडों से प्रणाली पर अनुचित दबाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है, यद्यपि कुछेक इक्के-दुक्के बैंकों को इन मानकों का पालन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। बासेल - II के तहत बैंकों की जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों की तुलना में सामूहिक पूंजी का अनुपात जून 2011 के अंत में 13.08% था, जो भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वारा विनिर्दिष्ट 9% से काफी अधिक है।

डेबिट कार्डों को वरीयता मिली

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों में एक सूक्ष्म परिवर्तन दर्शाते हुए इस वर्ष में पहली बार लोगों ने क्रेडिट कार्डों की तुलना में डेबिट कार्डो का उपयोग प्राय: अधिक किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार क्रेडिट कार्डों से सम्बन्धित लेनदेन 256 लाख रुपये तक पहुंच गए, जबकि 266 लाख रुपये के लेनदेन डेबिट कार्ड़ो का उपयोग करते हुए किए गए। ऐसा बिक्री केन्द्रों (PoS) की सहज उपलब्धता और बैंकों द्वारा डेबिट कार्डों के व्ययों पर दी जाने वाली ि रयायतों के कारण हुआ।

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतरपणन सुविधा में लाभ परिलक्षित

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार ले कर और एक माह वाले जमा प्रमाणपत्रों (CDs) और एक माह वाले वाणिज्यिक पत्रों (CPs) अधिक प्रतिफल देने वाले अल्पावधिक लिखतों में निवेश करने में अंतरपणन के अवसर दिखाअ दे रहे हैं। एक माह वाले जमा प्रमाणपत्र 9.20% पर खरीदे-बेचे जा रहे

हैं. जबकि एक माह वाले वाणिज्यिक पत्र 9.50% पर खरीदे-बेचे जा रहे हैं। जमा प्रमाणपत्र बाज़ार में खरीद -बिक्री का परिमाण 13 सितम्बर, 2011 के 6,480 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ कर 23 सितम्बर, 2011 को 12,434 करोड़ रुपे हो गया। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पुन र्खरीद सुविधा से सरकारी प्रतिभूतियों पर एक- दिवसीय आधार पर 8.25% की दर पर उधार ले सकते हैं। बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद सुविधा से औसतन 67.000 करोड़ रुपये उधार लिया है। यह इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि बैंकिंग प्रणाली के पास 1,32,000 करोड़ रुपये (3.4%) के नये ऋण संवितरण के की तुलना में इस वर्ष अब तक 3,14,000 करोड़ रुपये की वृद्धिशील जमाराशियां मौजूद हैं। सुदृढ़ जमा संग्रहण के बावजूद पुनर्खरीद उधार में निरंतर आधार पर वृद्धि हुई है। अतिरिक्त सरकारी प्रतिभुतियां रखने वाले बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार ली गई निधियों का उपयोग अधिक प्रतिफल वाले जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश करने में कर रहे हैं। प्रणाली में मौजूद अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात लागभग 7% है। सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र ने 24% की विनिर्दिष्ट सीमा के समक्ष अपनी जमाराशियों का लगभग 31% बॉण्डों में निवेश कर रखा है।

व्हाइट लैबेल एटीएमों की शुरूआत होगी

बैंकों की लेनदेन लागतों में कमी लाने की आशा करते हुए वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसे साझे एटीएमों की अनुमति देने के लिए कहा है जिनका स्वामित्व और प्रबन्धन

गैर-बैंकिंग संस्थाओं के पास रहेगा। व्हाइट लैबेल एटीएम कहे जाने वाले इन मुद्रा संवितरकों को गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाने तथा ग्राहकों से किसी न किसी प्रकार का उपयोग शुल्क वसूल किए जाने का प्रस्ताव है। वैश्विक स्तर पर इस प्रकार के एटीएम यूरोनेक्स्ट, क्लियरकार्ड और इजी एटीएम द्वारा परिचालित किए जाते हैं। वर्तमान में बैंक अपने एटीएमों र अन्य बैंकों के ग्राहकों को प्रति माह नकदी आहरण के पांच नि:शुल्क लेनदेनों की सुविधा प्रदान करते हैं, किन्तु उन्हें अंतर-बैंक लेनदेन लागतों का निपटान करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 3,,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है। ब्हाइट लैबेल एटीएम की स्थापना किए जाने से एटीएमों से आहरण की मात्रा भी बढ़ सकती है। बैंक अब तक एटीएम पर नकदी की सीमा का निर्धारण उसके उपयोग के आधार पर करते हैं।

विनियामकों के कथन

दर वृद्धि पर विराम फिलहाल नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने वृद्धि के प्रभावित होने की कीमत पर भी कीमतों को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, क्योंकि उन्होंने विस्मय व्यक्त किया कि "यदि हमने दरें न बढ़ाई होती, तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि मुद्रास्फीति कितनी अधिक रही होती ? इतनी अधिक कठोरता के बावजूद मुद्रास्फीति अगस्त में 9.8% जितने उच्चतर स्तर पर पहुंच गई थी। हमें वृद्धि, मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों में संतुलन लाना होगा। "

बहुत से लोग ब्याज दर वृद्धियों में रोक के लिए पैरवी कर रहे थे, क्योंकि निधियों की उच्चतर लागत आर्थिक विस्तार को प्रभावित कर रही है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक की मान्यता यह है कि आपूर्तियों को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त कार्रवाई के अभाव में मुद्रा को अधिक मंहगी बनाते हुए मांग पर रोक लगाई जानी चाहिए।

एक और दर वृद्धि संभव

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि मुद्रास्फीति के अधिक बनी रहने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में और वृद्धि कर सकता है। "हम दरों को इसलिए नहीं बढ़ाते , क्योंकि वे अपने आप में इसका कोई लक्ष्य नहीं होतीं, अपितु केवल तभी बढ़ाते हैं जब हम समस्या को बनी रहते देखते हैं। जैसे ही हम समस्या को हल होते देखेंगे, वह परिवर्तन का आधार बन जाएगी।"

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का पर्यवेक्षण बाह्य स्त्रोतों से नहीं कराया जा सकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि "भारतीय रिज़र्व बैंक की सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए उसके मौजूदा विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचे को बाहर से पूरा करवाने की कोई योजना नहीं है। हम सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विकेन्द्रीकरण और उनकी निगरानी किए जाने के विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु इसे दूर-दराज वाले ऐसे स्थानों पर, जहां सूक्ष्म वित्त संस्थाएं कार्यरत हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वयं अपनी शाखाएं खोलने के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि निगरानी को भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना आवश्यक है।" प्रस्तावित सूक्ष्म वित्त विधेयक में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को विनियमित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की महत्तर भूमिका की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के व्यवस्थित विकास में समर्थ बनाना, इस प्रकार के वित्त तक गरीबों की एकसमान पहुंच की व्यवस्था करना तथा इस क्षेत्र को विनियमित करना है।

सूक्ष्मवित्त

11 महीनों में सूक्ष्म वित्त उद्योग 10,000 करोड़ रुपये संकुचित

देश के सूक्ष्म उधारदाताओं के सबसे बड़े बाज़ार आंनध्र प्रदेश में संकट के बाद भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का आकार तेजी से संकुचित हो रहा है। उक्त संकट ने उस पहुंच को प्रभावित कर दिया है, जो गरीब लोग औपचारिक निधीयन तक रखते थे। बैंक अब तक ग्रामीण केन्द्रों में ऋण अंतर को पाटने में समर्थ नहीं हुए हैं। सूक्ष्म उधारदाताओं ने आंध्र प्रदेश में छोटे उधारकर्ताओं को प्रदत्त अपने ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रस्ताव किया है।

अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की कठोर नीतियों का समर्थन

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने ब्याज दर वृद्धि को रोकने की बढ़ती मांग को प्रतिकार उपलब्ध कराते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत समीक्षा किए जाने के पूर्व भारत में वर्तमान मौद्रिक कठोरता का समर्थन किया है। चीन, भारत और कोरिया में, जहां मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक स्तर पर बनी हुई है, और मुद्रास्फीति से सम्बन्धित प्रत्याशाओं के बढ़ने का क्रम जारी है, मौद्रिक कठोरता की वर्तमान गति उपयुक्त ही है। हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेसिया और थाईलैंड में मूल मुद्रास्फीति इसलिए बढ़ी है कि पिछली पण्य मूल्य-वृद्धि के दूसरे दौर के प्रभाव के परिणामस्वरूप सामान्यीकृत स्फीतिकारक दबाव बढ़ गए । बहुपक्षीय उधारदाता ने यूरो क्षेत्र के ऋण संकट तथा अमेरिका में व्याप्त मंदी के कारण

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात की घटती संभावना को जिम्मेदार बताते हुए एशिया की वृद्धि के अप्रैल 2011 वाले पूर्वानुमान के मुकाबले उसमें आधे प्रतिशत की कटौती करते हुए वर्ष 2011 में 6.25% कर दिया है। इसने सुझाव दिया है कि एशिया के लिए घरेलू वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। इसका प्रभाव भारत जैसी घरेलू मांग-प्रेरित अर्थव्यवस्थाओं पर कम पड़ेगा। इसने भारत के मामले में वर्ष 2011 के लिए 7.8% और 2012 के लिए 7.5% वृद्धि के अपने सितम्बर वाले पूर्वानुमान की पुष्टि की है, किन्तु यह चेतावनी दी है कि यूरोपीय संकट बढ़ने पर भारत में कारपोरेट निधीयन प्रभावित हो सकता है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 527 मिलियन डालर बढ़ी

14 अक्तूबर को विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 317.5 बिलियन अमरीकी डालर रही - जो पिछले सप्ताह के स्तर से 526.9 मिलियन अमरीकी डालर अधिक थी। इस वृद्धि में व्यापक रूप से विदेशी मुद्रा आस्तियों का अंशदान था, जो 519 मिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 281.65 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गई।

नवम्बर 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.93561	0.6100	0.766 0		

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.93561	0.610	0.766	1.048	1.366
जीबीपी	1.76031	1.3673	1.4970	1.6918	1.8850
यूरो	2.08188	1.553	1.680	1.845	2.043
जापानी येन	0.55250	0.361	0.384	0.425	0.491
कनाडाई डालर	1.70500	1.178	1.354	1.534	1.719
आस्ट्रेलियाई डालर	5.01875	4.280	4.370	4.620	4.750

स्विस फ्रैंक	0.30783	0.188	0.363	0.583	0.828
हांगकांग डालर	0.46000	0.6100	0.8000	1.0900	1.3600
डैनिश क्रोन	1.8100	1.573	1.702	1.942	2.143
सिंगापुर डालर	0.34500	0.500	0.760	1.000	1.230
स्वीडिश क्रोनर	2.84500	2.224	2.226	2.332	2.443
मलेसियाई रिंगिट	3.22000	3.220	3.300	3.400	3.540

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**21 अक्तूबर 2011 के दिन**	**21 अक्तूबर 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियां	15 ,90, 751	318,,358
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 14 ,549	282, 514
ख) सोना	1, 40, 266	28, 667
ग) विशेष आहरण अधिकार	22, 743	4, 542
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	13, 193	2, 635

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

14

बीमा

वार्षिकी के साथ सभी पेंशन योजनाओं का होना जरूरी : इर्डा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने इस बात पर बल दिया है कि सभी पेंशन उत्पादों को पॉलिसीधारकों को पेंशन उपलब्ध करानी चाहिए। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण ने स्प्ष्ट किया है कि "कई एक पारंपरिक पेंशन योजनाएं वार्षिकी के साय नहीं लगाई जातीं। इससे पेंशन योजना का सम्पूर्ण उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अब तक वार्षिकी के अनिवार्य न होने पर पॉलिसी धारक को पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर एकमुश्त रकम दी जाती है। यह एक ऐसी सेवानिवृत्ति निधि की भांति काम आती है, जिसमें संचय तो होता है, किन्तु पॉलिसी धारक उससे वार्षिकी खरदने हेतु

बाध्य नहीं होता। हालांकि, अब हम सभी पारंपरिक पेंशन उत्पादों के लिए वार्षिकी को अनिवार्य बनाना चाहते हैं।"

बीमाकर्ताओं को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए लाभप्रदता खण्ड से छूट मिली

भारतीय प्रतिभूति और विमिय बोर्ड (SEBI) ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के साथ बाज़ार में उतरने की इच्छुक बीमा कम्पनियों के समक्ष उपस्थित एक महत्वपूर्ण अवरोध को वापस ले ि लया है। उसने पूंजी बाज़ार का लाभ उठाने की एक पूर्वाडेक्षा के रूप में सभी कम्पनियों पर लागू होने वाले 3 वर्ष के लाभप्रदता खण्ड को हटा दिया है। इस मुहिम से अधिसंख्य जीवन बीमा कम्पनियों को राहत मिलने की आशा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को किसी प्रकार के लाभ की हामीदारी करना अभी तक शेष है। हालांकि, उन्हें अब भी भारतीय प्रतिभूति और वि निमय बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंडों के अलावा बीमा विनियामक और विकास प्रा धिकरण (IRDA) द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन मानदंडों का पालन करना होगा। इसके भी अतिरिक्त, आगामी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के दौरान अधिकांश निजी बीमा भुगतानकर्ताओं ने अपने नेटवर्क का विस्तार करना रोक दिया है और यहां तक कि अपने बल में कमी कर दी है। दिशानिर्देशों के मसौदे के अनुसार जिन बीमा कम्पनियों ने 10 वर्ष का परिचालन पूरा कर लिया है, उन्हें पूंजी बाज़ार का दोहन करने की अनुमति दी जाएगी तथा मूल्यांकन भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा तैयार की गई पद्धति द्वारा परिकलित अन्तर्निहित मूल्य के आधार पर किया जाएगा। बीमाकर्ताओं को औपचारिक अनुमोदन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से तथा अंतिम अनुमोदन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से प्राप्त करना होगा। उन्हें अपने तुलन पत्र, प्रीमियमों कमीशन खर्चों और परिचालन व्ययों का तिमाही आधार पर प्रकटन करना होगा।

उत्पाद एवं गंठजोड़

15

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
ओरयेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	सामान्य बीमा	अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की मेडी - क्लेम पॉलिसियों का निटान करने जिसमें 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की नकदी रहित पारिवारिक फ्लोटर सुरक्षा उपलब्ध कराना भी शामिल है।

केनरा बैंक	एचएसबीसी और ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस	संयुक्त उद्यम ने "स्मार्ट संचय प्लान" की शुरूआत की है, जो नियत प्रतिलाभों के साथ जीवन सुरक्षा और दुर्घटना संरक्षण भी उपलब्ध कराती है। यह 5 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान तथा 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि वाला एक सीमित वेतन उत्पाद है।
एचएफडीसी बैंक	टीवीएस मोटर्स	एचएफडीसी टीवीएस मोटर कम्पनी के व्यापारियों को ऑनलाइन निधि अंतरण, ऑनलाइन चुकौती और खाते को तत्काल देखने की सुविधा सहित निधिक सुविधा उपलब्ध कराएगा।
इलाहाबद मनी	आदित्य बिड़ला बैंक	बैंक के ग्राहक इक्विटियों, व्युत्पन्नियों, वस्तुओं और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों में इलाहाबद मनी की एकल खिड़की से ऑनलाइन निवेश करने में समर्थ होंगे।

नयी नियुक्तियां

- श्री अजय कुमार को कारपोरेशन बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।

- श्री जितेश खोसला को भारतीय यूनिट ट्रस्ट आस्ति प्रबन्धन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- श्री एन. शंकर को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।

- श्री एन. चंद्रशेखरन को यूको बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

स्तंभ II - जोखिम प्रबन्धन एवं नियंत्रण

पूरक स्तंभ II आवश्यकताएं

तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजरों और प्रतिभूतिकरण गतिविधियों का पता लगा कर, जोखिम संकेन्द्रण का प्रबन्धन करते हुए, जोखिम एवं प्रतिलाभों तथा दीर्घकालीन स्तर पर सुदृढ़ प्र तिकर प्रथाओं, मूल्यांकन प्रथाओं, दबाव परीक्षण, वित्तीय लिखतों के लिए लेखांकन मानकों, कारपोरेट अभिशान एवं पर्यवेक्षी मंडलों का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन देकर फर्म-व्यापक अभिशासन और जोखिम प्रबन्धन पर ध्यान देना।

स्तंभ III- बाज़ार अनुशासन

संशोधित स्तंभ III की प्रकटन अपेक्षाएं

लागू की गई अपेक्षाएं प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तुलन पत्र बाह्य माध्यमों के प्रायोजन से सम्ब न्धित हैं। विनियामक पूंजी के संघटकों और उनके रिपोर्ट किए गए खातों मे उनके समाधान के व्योरों के सम्बन्ध में अधिक प्रकटन अपेक्षित होंगे, जिसमे कोई बैंक अपनी विनियामक पूंजी के अनुपातों की गणना किस प्रकार करता हैउसके सम्बन्ध में एक व्यापक स्पष्टीकरण भी शा मिल है।

चलनिधि - वैश्विक चलनिधि मानक एवं पर्यवेक्षी निगरानी

चलनिधि व्याप्ति अनुपात

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) बैंकों के लिए 30 दिवसीय दबावग्रस्त निधीयन परिदृश्य का सामना करने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध आ स्तिया रखना आवश्यक बना देगा।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) चलनिधि असंतुलनों से निपटे के लिए तैयार किया गया एक दीर्घकालिक संरचनात्मक अनुपात है। इसमें सम्पूर्ण तुलन पत्र का समावेश होता है तथा यह बैंकों को निधीयन के स्थिर स्रोतों के उपयोग किए जाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है।

सुदृढ़ चलनिधि जिखिम प्रबन्धन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत

समिति के 2008 वाले दिशानिर्देशों के पात्र सिद्धांत संकट के दौरान ली गई शिक्षा को ध्यान में रखते ैं तथा वे बैंकिंग संगठनों में चलनिधि जोखिम का प्रबबन्धन करने की सुदृढ़ प्रथाओं की सैद्धांतिक समीक्षा पर आधारित हैं।

पर्यवेक्षी निगरानी

चलनिधि ढांचे में बैंक और प्रणाली-व्यापक, दोनों ही सतरों पर चलनिधि जोखिम की प्रवृत्तियों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने में पर्यवेक्षकों की सहायता करने के लिए निगरानी मेट्रिकस के साझे सेट का समावेश है।

सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं

बासेल III की अपेक्षाएं पूरी करने के अलावा, सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (SIFIs) को उन महत्तर जोखिमों को निरूपित करने के लिए जिन्हें वे वित्तीय संस्थाओं के समक्ष उपस्थित करती हैं, को अपेक्षाकृत अधिक हानि अवशोषण क्षमता अवश्य र खनी चाहिए। समिति ने एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की है, जिसमें वैश्विक सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (SIFIs) की पहचान करने के लिए मात्रात्मक

संकेतकों और गुणात्मक तत्वों, दोनों ही का समावेश है।

अतिरिक्त हानि अवशोषण सम्बन्धी अपेक्षाएं किसी बैंक के प्रणालीगत महत्व के आधार पर 1% से लेकर 2.5% की श्रेणी वाली प्रगामी साझी इक्विटी टियर I (CET1) पूंजीगत आवश्यकता से पूरी की जानी है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), जो वैश्विक सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (SIFIs) द्वारा उपस्थित किए गए नैतिक संकट कम करने के उपयों के समग्र सेट का समन्वय कर रहा है, को एक परिमर्शी दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया था।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

क्रय बंधक बाज़ार

गृह वित्तीयन लेनदेनों का एक बंधक बाज़ार। मूल बंधक बाज़ार दो प्रकार के लेनदेनों - खरीदियों एवं पुनर्वित्तीयन में खंडित किया गया है। दोनों ही बंधक प्रवर्तन की समग्र श्रेणी में आते हैं। क्रय बाज़ार रोज़गार और आय में वृद्धि और गृह मूल्य में वृद्धि की दर जैसे व्यापक आर्थिक कारकों द्वारा संचालित होता है। क्रय बाज़ार में मौसमी कारक भी मौजूद होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग वसंत एवं गर्मी के महीनों में घर बदल देते हैं। क्रय बंधक बाज़ार में बंधक की एक उप-श्रेणी होती है, जिसे पुनर्स्थापन बंधक कहा जाता है। जहां क्रय बंधक और पुनर्वित्त बंधक उद्देश्य की दृष्टि से भिन्न-भिन्न होते हैं, वहीं इनमें से प्रत्येक में गतिविधि का स्तर एक-दूसरे से अत्यधिक सह-सम्बन्धित होता है। उदाहरण के लिए, यदि मकान की कीमतें, मौजूदा मकानों में इक्विटी सृजित करते हुए बढ़ती हैं, तो कुछ लोग अपने नव-उपलब्ध बड़े तत्काल भुगतान से अपेक्षाकृत बड़े मकान खरीद कर आवासीय क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जबकि अन्य लोग उस इक्विटी को कैश-आउट पुनर्वित्त के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

शब्दावली

लंदन अन्तर-बैंक प्रस्तावित दर

लिबोर एक ऐसी ब्याज दर है, जो अंतरराष्ट्रीय बैंक ऋणों (आम तौर पर यूरो / डालरों में) पर एक-दूसरे से वसूल करते हैं। यह दर अल्पावधिक अंतरराष्ट्रीय अंतर-बैंक बाज़ार पर लागू होती है और कहीं भी एक दिन से लेकर पांच वर्ष के लिए उधार लिए गए बड़े ऋणों पर भी लागू होती है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेन्टर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण की गतिविधियां

18

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

- संस्थान द्वारा 28 नवम्बर 2011 से 30 नवम्बर 2011 तक "वित्तीय समावेशन" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TTP) की घोषणा की गई है ।

- संस्थान ने 05 दिसम्बर से 10 दिसम्बर, 2011 तक (बैंकिंग संस्थानों और बैंकों के लिए) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TTP) की भी घोषणा की है।

- संस्थान ने डेवलपमेंट डाइमेंशन्स इंटरनेशनल (DDI) यू.एस. ए. के सहयोग से 20 से 23 नवम्बर 2011 तक लीडरशिप असेसमेंट एण्ड डेवलपमेंट पर एक साढ़े तीन दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान ने परसॉनेल डिसीजन्स इंटरनेशनल (PDI) नांथ हाउस के सहयोग से 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर 2011 तक शाखा प्रबन्धकों के सशक्तीकरण पर एक तीन दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. दे खें।

संस्थान ने टाटा इंटरऐक्टिव सिस्टम के सहयोग से 20 और 21 अक्तूबर 2011 को टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग पर एक द्विदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 23 सहभाी उपस्थित थे।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन

पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख
  को प्रेषित करें।

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

वेबेक्स कक्षाएं : संस्थान जेएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ / सीएआईआईबी के अभ्य र्थियों के लिए वेब कक्षाओं का आयोजन कर रहा है। सत्रों में प्रवेश की अनुमति ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दी

जाएगी, जिन्होंने नवम्बर / दिसम्बर 2011 की परिक्षाओं के लिए पंजीकरण करा रखे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

छद्म परीक्षा : संस्थान जेएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ / सीएआईआईबी के अभ्य र्थियों के लिए 1 अक्तूबर 2011 से छद्म परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप

वर्ष 2011-12 के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2011 तक बढ़ा दी गई है।

बाज़ार की खबरें

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

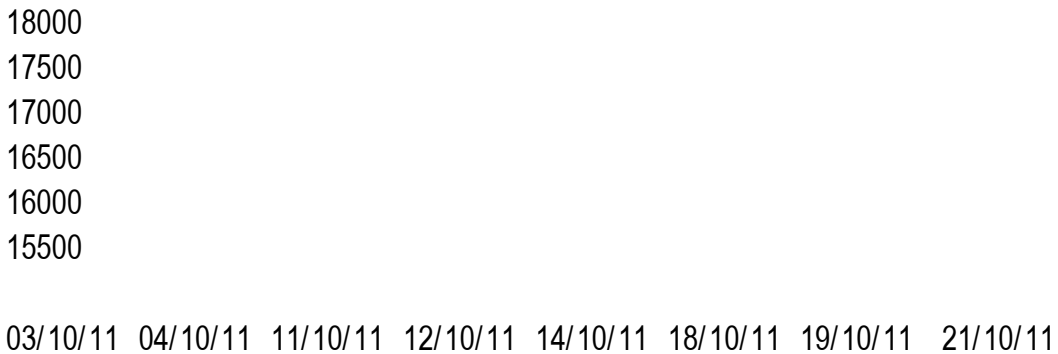

25/10/11 28/10/11 31/10/11

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

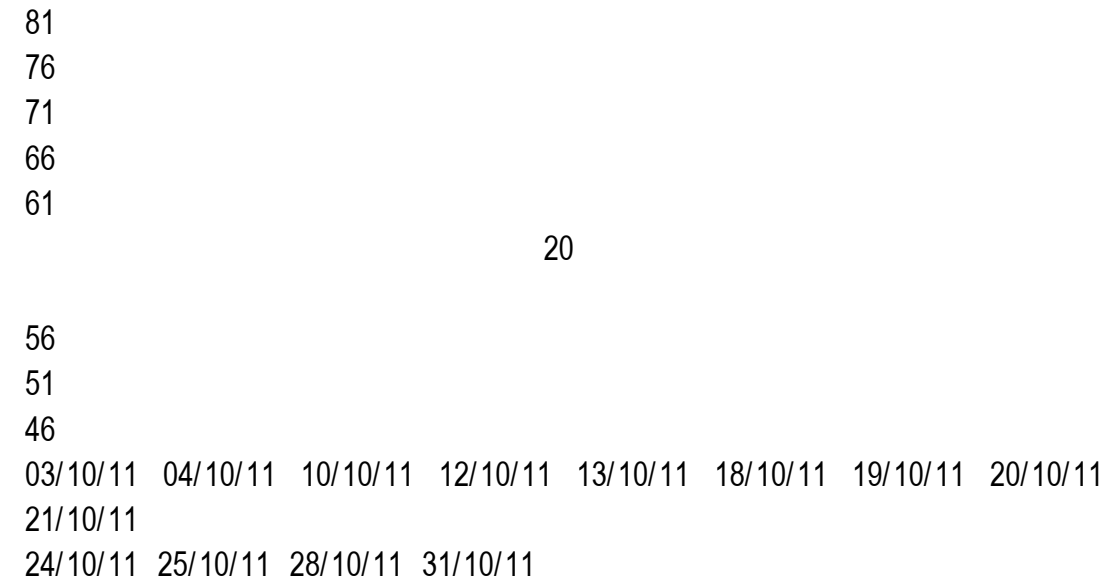

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 3री को आकड़ों के यह दर्शाने के बाद कि चालू खाते का घाटा बढ़ गया है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ने
  उभरते बाज़ारों की आस्तियों की मांग में कमी ला दी है, के प्रति चिंता के परिणामस्वरूप रुपया कमजोर पड़
  कर प्रति अमरीकी डालर 49.1575 पर आ गया।
- 11 वीं को रुपये में तीन सप्ताह में सबसे बड़ी एक-दिवसीय गिरावट दर्ज हुई - प्रतिफल लुढ़क गए।
- 2वीं को रुपया 1.3% लुढ़का। एक माह के 49.81/ डालर के न्यूनतम स्तर पर आ गया।
- सितम्बर की शुरयआत से रुपये में 10% से अधिक का मूल्यह्रास हुआ। विश्लेषकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है
  कि 3री तिमाही में रुपया 51.50 /डालर तक पहुंच सकता है।
- डालर के समक्ष मूल्यह्रास के प्रति सामान्य पूर्वग्रह परिलक्षित।
- माह में यरो के समक्ष रुपये में 2.62% का मूल्यह्रास हुआ।
- जापानी येन 4.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए 61.51 रुपये पर बंद हुआ।
- स्टर्लिंग-पौंड अनियमित बने रहे और 1.81% के समग्र मूल्यह्रास के साथ बंद हुए।

भारित औसत मांग दरें

8.6
8.4
8.2
8
7.8
7.6
7.4

01/10/11 05/10/11 08/10/11 14/10/11 15/10/11 1 7/10/11 19/10/11 21/10/11
24/10/11 25/10/11 28/10/11

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जुलाई, 2011

- मांग दरें व्यापक तौर पर श्रेणीबद्ध बनी रहीं।
- माह के मध्य में चलनिधि में थोड़ी -सी सहूलियत परिलक्षित हुई।

- 28वीं को 8.53 के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- विशेषज्ञों के अनुसार अधिक प्रणालीगत चलनिधि की आशा में मांग दरों के 8.25% वाले स्तर के गलियारे के आखिरी छोर पर बने रहने की आशा है ।

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न नवम्बर, 2011